

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer All Questions. All Question Carry Equal Marks.

इकाई/Unit -1

1. अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।
Define crime. Explain the essential elements of crime.

अथवा/ Or

“कोई कृत्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि उसे आपराधिक आशय से न किया जाय।”
No act is an offence, until it is done with criminal Intentions.

इकाई/Unit -2

2. शरीर एवं संपत्ति संबंधी निज प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो जाता है।
 अपवादों सहित व्याख्या कीजिए।
Under what circumstances the right of Private defence to the body & Property extends to causing death. Explain with exceptions.

अथवा/ Or

सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं। सामान्य आशय एवं समान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।

What do you understand by common Intention? What are the differences between common Intention and common object. Explain.

इकाई/Unit -3

3. बलात्कार को परिभाषित कीजिए। बलात्कार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या कोई पति अपनी पति के साथ बलात्कार कर सकता है? समझाइये।
Define Rape. Explain the essential elements of rape. Can a husband commit rape to his own wife. Explain.

अथवा/ Or

निम्नलिखित को समझाइये:-

(अ) आपराधिक मानव वध (Culpable homicide)
 (ब) व्यपहरण (Kidnapping)
 (स) घोर उपहति (Grievous hurt)
 (द्र) सदोष परिरोध (Wrongful Confinement)

इकाई/Unit -4

4. दण्ड को परिभाषित कीजिए। दण्ड के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।
Define punishment. Explain the various types of punishment.

अथवा/ Or

चोरी को परिभाषित कीजिए। चोरी के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है। समझाइये।

Define Theft. Explain the essential elements of Theft. Can a person Committe the Theft of his own Property. Explain.

इकाई/Unit -5

5. रेग बनाम गोविंदा आई.एल.आर 1876 मुंबई, 342 प्रकरण के बाद के तथ्यों, निर्णय एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
Discuss the facts, decision and principles of law laid down in the case of Reg V/s Govinda ILR 1876, Bombay 342.

अथवा/ Or

इंजासगुल खान बनाम किंग एम्परर, आई.एल.आर. 1936, नागपुर 194 के प्रकरण के तथ्यों, निर्णय एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।